

e-Challan

Registration and Stamps department Government of Rajasthan

GRN: 0085539617



Payment Date: 10/02/2024 14:56:45

Office Name: SUB REGISTRAR-II REGISTRATION & STAMPS, SANGANER

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/01/1994-To-29/02/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	1500.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 1500.00

One Thousand Five Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Ramniwas Choudhary

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): jaipur(302012)

Address:Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1, Village & Tehsil-Sanganer

Remarks:Advocate-Kripa Kumari Gurjar

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No: SBIN8553961710022024

Date: 10/02/2024 14:56:45

Refrence No: CK000MQVB1

Computer generated copy on : 10/02/2024

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Kripa Kumari Gurjar

(Advocate/ Attorney)

106, B-Block, Vedang Height,
Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan-302033
Cont.No. +91-7737176923
E-mail: gurjarkripa@gmail.com

Date- 10/02/2024

Title Search Report

Sir,

As per the certified copy documents/papers made available to me, I have carefully examined the same.

As reveal from the documents the Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1 Village & Tehsil-Sanganer, District-Jaipur State-Rajasthan is owned by Ramniwas Choudhary, Mahendra Kumawat and Arjun Singh Choudhary.

Description of Land with respect to Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1, with total area admeasuring 7100 square meter situated at Village & Tehsil- Sanganer, District- Jodhpur, State- Rajasthan.

1. Copy of Jamabandi has been examined and the fact was verified that the land having Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1 is in the ownership of Mr. Arjun Singh Choudhary S/o Mr. Shyojiram Choudhary, Mr. Mahendra Kumawat S/o Mr. Chunni Lal Kumawat, Mr. Ramniwas Choudhary S/o Mr. Gyan Chand Choudhary.
2. Certified copy of registered sale deed with respect to Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1, executed by Mr. Mohan in favor of Mr. Arjun Singh Choudhary S/o Mr. Shyojiram Choudhary, Mr. Mahendra Kumawat S/o Mr. Chunni Lal Kumawat, Mr. Ramniwas Choudhary S/o Mr. Gyan Chand Choudhary which was duly registered on dated 11.05.2023 in the office of sub registrar Sanganer-II, in its Book No. 1 , Volume No. 526, Page No. 80 bearing serial No. 202303025103318 and an additional copy of the same was also pasted in its additional Book No. 1, Volume No. 2101, at Page No. 549-559.

Adv. Kripa Kumari Gurjar
R/1722017
Advocate

Kripa Kumari Gurjar

(Advocate/ Attorney)

106, B-Block, Vedang Height,
Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan-302033
Cont.No. +91-7737176923
E-mail: gurjarkripa@gmail.com

3. Jaipur Development Authority, Jaipur (JDA), Zone-08 converted the agriculture land bearing Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1 in the name of Mr. Arjun Singh Choudhary S/o Mr. Shyojiram Choudhary, Mr. Mahendra Kumawat S/o Mr. Chunni Lal Kumawat, Mr. Ramniwas Choudhary S/o Mr. Gyan Chand Choudhary to residential purpose under Rajasthan Land revenue Act 1956 (90 - A) vide LU2012/JDA/2023-24/102664 on dated 26.07.2023.
4. Jaipur Development Authority, Jaipur has issued layout approval letter in favor of Mr. Arjun Singh Choudhary S/o Mr. Shyojiram Choudhary, Mr. Mahendra Kumawat S/o Mr. Chunni Lal Kumawat, Mr. Ramniwas Choudhary S/o Mr. Gyan Chand Choudhary on 02.02.2024 vide its letter no. D-252.

Conclusion/Observation, if any

As per the certified copies of the documents, I am of opinion that Mr. Arjun Singh Choudhary S/o Mr. Shyojiram Choudhary, Mr. Mahendra Kumawat S/o Mr. Chunni Lal Kumawat, Mr. Ramniwas Choudhary S/o Mr. Gyan Chand Choudhary is the absolute owner of the land situated Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1 with total area admeasuring 7100 square meter situated at Village & Tehsil-Sanganer, District-Jaipur State-Rajasthan After inspection at Sub Registrar office, at Sanganer, Jaipur the said Land is clear, marketable and free from all encumbrance.

Adv. Kripa Kumari Gurjar
Kripa Kumari Gurjar
01/07/2017
Adv. Kripa Kumari Gurjar



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- सांगानेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075 - 2078

पटवार हल्का :- सांगानेर

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- सांगानेर

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- सांगानेर

खाता संख्या नया :- 1748

जिला :- जयपुर

खाता संख्या पुराना :- 1006

काश्तकार का नाम :-

1. अर्जुन सिंह चौधरी पुत्र श्योजीराम चौधरी हिस्सा- 25/71 जाति- जाट निवासी- ग्राम जोतड़ावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार
2. महेन्द्र कुमावत पुत्र चुन्नीलाल कुमावत हिस्सा- 21/71 जाति- कुमावत निवासी- ग्राम पहाड़िया तहसील फागी जिला जयपुर खातेदार
3. रामनिवास चौधरी पुत्र ज्ञानचन्द चौधरी हिस्सा- 25/71 जाति- जाट निवासी- ग्राम शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2031	0.3000 चाही 2	0.3000 8.70	स्वीकृत नामान्तरकरण : 2479 31/05/2023 बेचान	
2032	0.2100 चाही 2	0.2100 6.09		
2033	0.1700 चाही 2	0.1400 4.06		
2033	0.1700 जाव 2	0.0300 0.44		
2034/1	0.0300 चाही 2	0.0300 0.87		
कुल खसरे -4	0.7100	20.1600		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम -

पता - JAIPUR

प्रतिलिपि सं. - 82915

शुल्क - 30 Rs/-

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -02/Jun/2023 12:29:00 PM

नकल जारी करने का स्थान - कियोस्क कोड :- K16003651, पता :- 15, HAMIRPUR HOUSE, NEAR SBBJ BANK, SANGANER JAIPUR

यू.एस.एन - 92952468717482479

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=929524687174824791>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NEELAMRAJ BANSHIWAL

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 02/Jun/2023 09:51:00 AM





जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सांगानेर
पटवार हल्का :- सांगानेर
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1563
खाता संख्या पुराना :- 13

काश्तकार का नाम:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्सा- पूर्ण जाति- (NA) संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1024/5011	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400			नोट नं. 71 से दिनांक 11/08/2019 खसरा संख्या : 564 पर
1037	0.0300	गै.मु.खड्डा	0.0300			एसडीएम कोर्ट सांगानेर खसरा न.564 नोट लगा हुआ है।
1052	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000			नोट नं. 72 से दिनांक 11/08/2019 खसरा संख्या : 3698/5105 पर
1061	0.2200	चाही 1	0.0900	3.24	1058	धारा 136 सिवाय चक नोट लगा हुआ है।
		जाव 1	0.1300	2.34	1058	नोट नं. 73 से दिनांक 11/08/2019 खसरा संख्या : 4300, 4395
1062/5126	0.2800	बारानी 1	0.2800	2.18		पर मन्दिर माफी नोट लगा हुआ है।
1070	0.3000	गै.मु.श्मशान	0.3000			नोट नं. 74 से दिनांक 11/08/2019 खसरा संख्या : 4838 पर एस
1131	0.0300	गै.मु.खड्डा	0.0300			डी एम कोर्ट सांगानेर 4838 पर नोट लगा हुआ है।
1144	0.1900	बंजड 1	0.1900	0.57		स्वीकृत नामांतरकरण : 2131 29/09/2020 न्याया. आदेश
1145	0.3200	चाही 2	0.1300	3.77	1168	स्वीकृत नामांतरकरण : 2179 02/08/2021 सर्मपण
		जाव 2	0.1900	2.76	1168	स्वीकृत नामांतरकरण : 2192 05/05/2021 सर्मपण
116	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900			स्वीकृत नामांतरकरण : 2277 25/01/2022 सर्मपण
1163	0.1000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1000			स्वीकृत नामांतरकरण : 2279 28/01/2022 न्याया. आदेश
1164/2	0.5600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.5600			स्वीकृत नामांतरकरण : 2369 20/07/2022 सर्मपण
1165	0.6600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.6600			स्वीकृत नामांतरकरण : 2402 19/10/2022 सर्मपण
117	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200			स्वीकृत नामांतरकरण : 2412 04/11/2022 सर्मपण
1170	0.1900	बंजड 1	0.1900	0.57		स्वीकृत नामांतरकरण : 2417 24/11/2022 सर्मपण
1171	0.4800	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.4800			स्वीकृत नामांतरकरण : 2441 25/01/2023 न्याया. आदेश
1179/1	0.4200	गै.मु.	0.4200			स्वीकृत नामांतरकरण : 2449 03/03/2023 सर्मपण



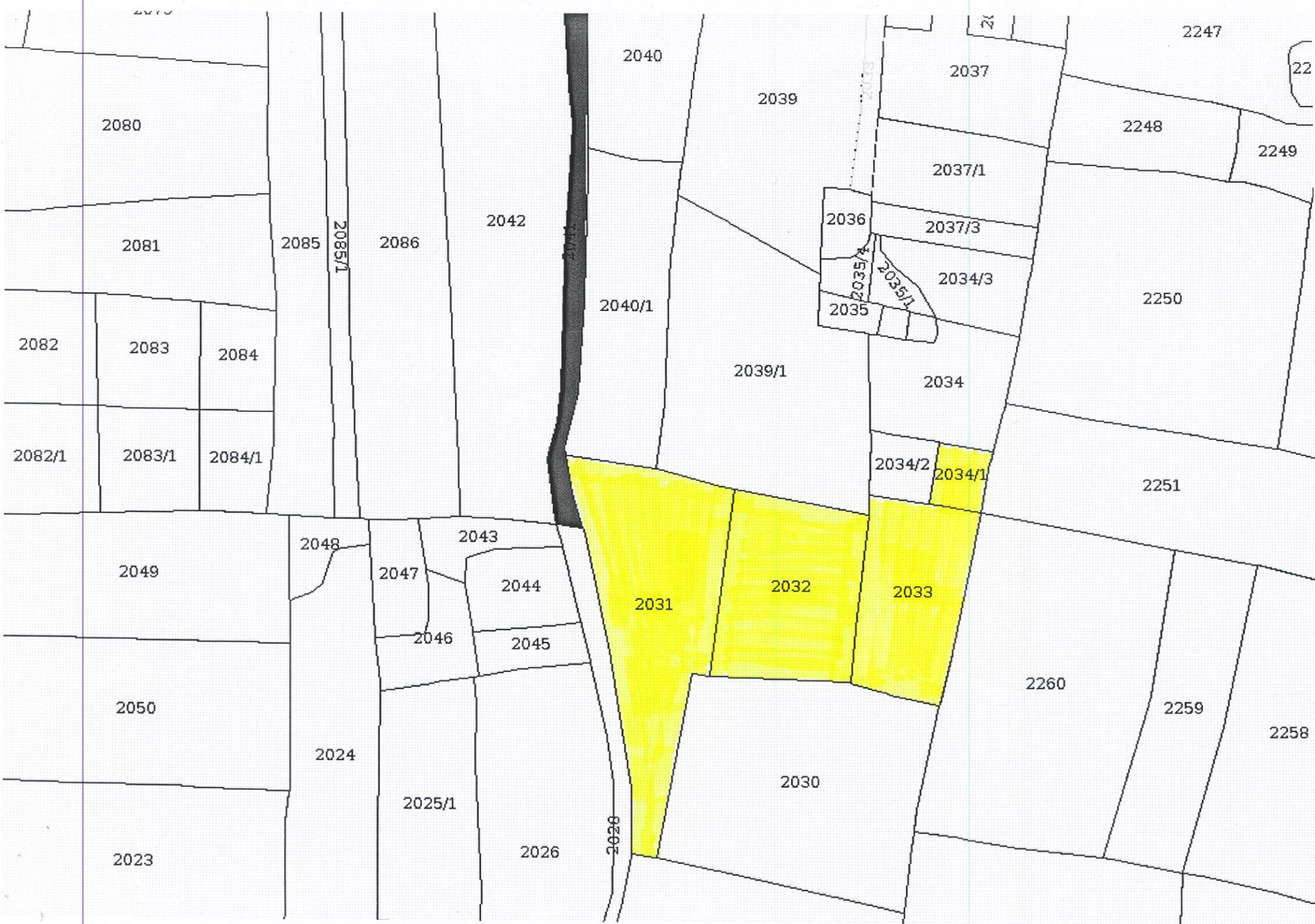
जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सांगानेर
पटवार हल्का :- सांगानेर
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1563
खाता संख्या पुराना :- 13

1982	0.4300	गै.मु.	0.4300	
1983/5018	0.0700	बारानी 2	0.0700	0.42
1984	0.2000	बारानी 2	0.2000	1.20
1986	0.3600	गै.मु.पाल	0.3600	
1988	0.0700	गै.मु.	0.0700	1979
1988/5163	0.1700	गै.मु.	0.1700	
1988/5164	0.1700	गै.मु.	0.1700	
1988/5165	0.0800	गै.मु.	0.0800	1979
1989	0.2400	गै.मु.	0.2400	
1989/5166	0.1600	गै.मु.	0.1600	
1989/5167	0.1600	गै.मु.	0.1600	
1989/5168	0.0900	गै.मु.	0.0900	
20	0.1600	गै.मु.नला	0.1600	
2028	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100	
2031	0.3000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.3000	
2032	0.2100	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2100	
2033	0.1700	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1700	
2034/1	0.0300	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0300	
2056	0.8300	गै.मु.तलाई	0.8300	
21	1.0100	खातली	1.0100	29.80
2104	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	
212	0.4000	गै.मु.	0.4000	
213	0.0100	गै.मु.	0.0100	
214	0.3400	गै.मु.	0.3400	
215	0.3200	गै.मु.	0.3200	
2152	0.1900	गै.मु.रास्ता	0.1900	
216	0.0900	गै.मु.	0.0900	
2162	0.3000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.3000	
2163	0.0900	बारानी 1	0.0900	0.70
2164	0.3800	गै.मु.रास्ता	0.3800	
217	0.5500	गै.मु.	0.5500	
217/5128	0.2300	गै.मु.	0.2300	
218	0.3000	गै.मु.	0.3000	
219	0.2400	गै.मु.	0.2400	





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन-08) राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102664

दिनांक: 26/07/2023

विषय: — राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **ARJUN SINGH CHOUDHARY** पुत्र श्री **SHYOJIRAM CHOUDHARY** जाति **JAT** निवासी **WARD NO 31]GATE KI DHANI]JOTADAWALA]SANGANER]JAIPUR**

श्री **MAHENDRA KUMAWAT** पुत्र श्री **CHUNNI LAL KUMAWAT** जाति **KUMAWAT** निवासी **129]DHANI BHOPA KI]PAHADIYA]JAIPUR**

श्री **RAMNIWAS CHOUDHARY** पुत्र श्री **GYAN CHAND CHOUDHARY** जाति **JAT** निवासी **TIBA KI DHANI]SHIKARPURA]SANGANER]JAIPUR**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	RAMNIWAS CHOUDHARY, MAHENDRA KUMAWAT,, ARJUN SINGH CHOUDHARY	2031	3000	0.3
2.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	RAMNIWAS CHOUDHARY, MAHENDRA KUMAWAT,, ARJUN SINGH CHOUDHARY	2032	2100	0.21
3.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	RAMNIWAS CHOUDHARY, MAHENDRA KUMAWAT,, ARJUN SINGH CHOUDHARY	2033	1700	0.17
4.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	RAMNIWAS CHOUDHARY, MAHENDRA KUMAWAT,, ARJUN SINGH CHOUDHARY	2034/1	300	0.03
कुल					0.71

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की —मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये

गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **26-07-2023** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-08)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SANGANER-II

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 08-05-2023 12:08 PM

Fee Receipt No	: 202302025005327	Receipt Date	: 08/05/2023
Name	: RAM NIWAS CHOUDHARY,	Document S. No.	: 202301025003804
Address	: 00 ,VILLAGE SHIKARPURA ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 20000000	Evaluated Value	: ₹ 16851476
Ord-Registration Fee	: ₹ 200000	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 360000	Stamp Duty	: ₹ 1200000
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1760300
		Total Amount	: ₹ 1760300

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ91995015948017V ₹ 1560000 # e-Registration Receipt RJ1129821281759 ₹ 200300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID 23042141935R

Receipt Date

08-MAY-2023 11:38

S.R. Location SANGANER-II

Receipt No RJ1129821281759

Name Of Seller MOHAN

Name Of Buyer RAMNIWAS ARJUN SINGH AND MAHENDRA KUMAWAT

Type of Document 21(I) - Sale Deed (Conveyance Deed)

ACC Reference NONSH/NITESH KUMAR JANGID/BAGRU

Paid Fees

Particulars

Amount (Rs.)

Registration Fees

₹ 200000

Copy of Fees

₹ 0

Late Fees

₹ 0

Other Charges

₹ 0

Total Amount

₹ 200300

Grand Total

₹ 200340

(Rupees Two Lakh Three Hundred Forty Only)

Particulars

CSI

₹ 300

Record Inspection

₹ 0

Commission Fees

₹ 0

Service Charges

₹ 40



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shoilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp



Certificate No.	: IN-RJ91995015948017V
Certificate Issued Date	: 08-May-2023 11:36 AM
Account Reference	: NONACC (SV)/ rj3129604/ BAGRU/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-RJRJ312960473011813268829V
Purchased by	: RAMNIWAS ARJUN SINGH AND MAHENDRA KUMAWAT
Description of Document	: Article 21(i) Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description	: KHASRA NO. 2031,2032,2033,2034/1, AT VILLAGE SANGANER TEHSIL SANGANER, JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	: 2,00,00,000 (Two Crore only)
First Party	: MOHAN
Second Party	: RAMNIWAS ARJUN SINGH AND MAHENDRA KUMAWAT
Stamp Duty Paid By	: RAMNIWAS ARJUN SINGH AND MAHENDRA KUMAWAT
Stamp Duty Payable (Rs.)	: 12,00,000 (Twelve Lakh only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	: 1,20,000 (One Lakh Twenty Thousand only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	: 1,20,000 (One Lakh Twenty Thousand only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	: 1,20,000 (One Lakh Twenty Thousand only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 15,60,000 (FifteenLakh Sixty Thousand only)

रामनिवास चोपरा

[Signature]

[Signature]

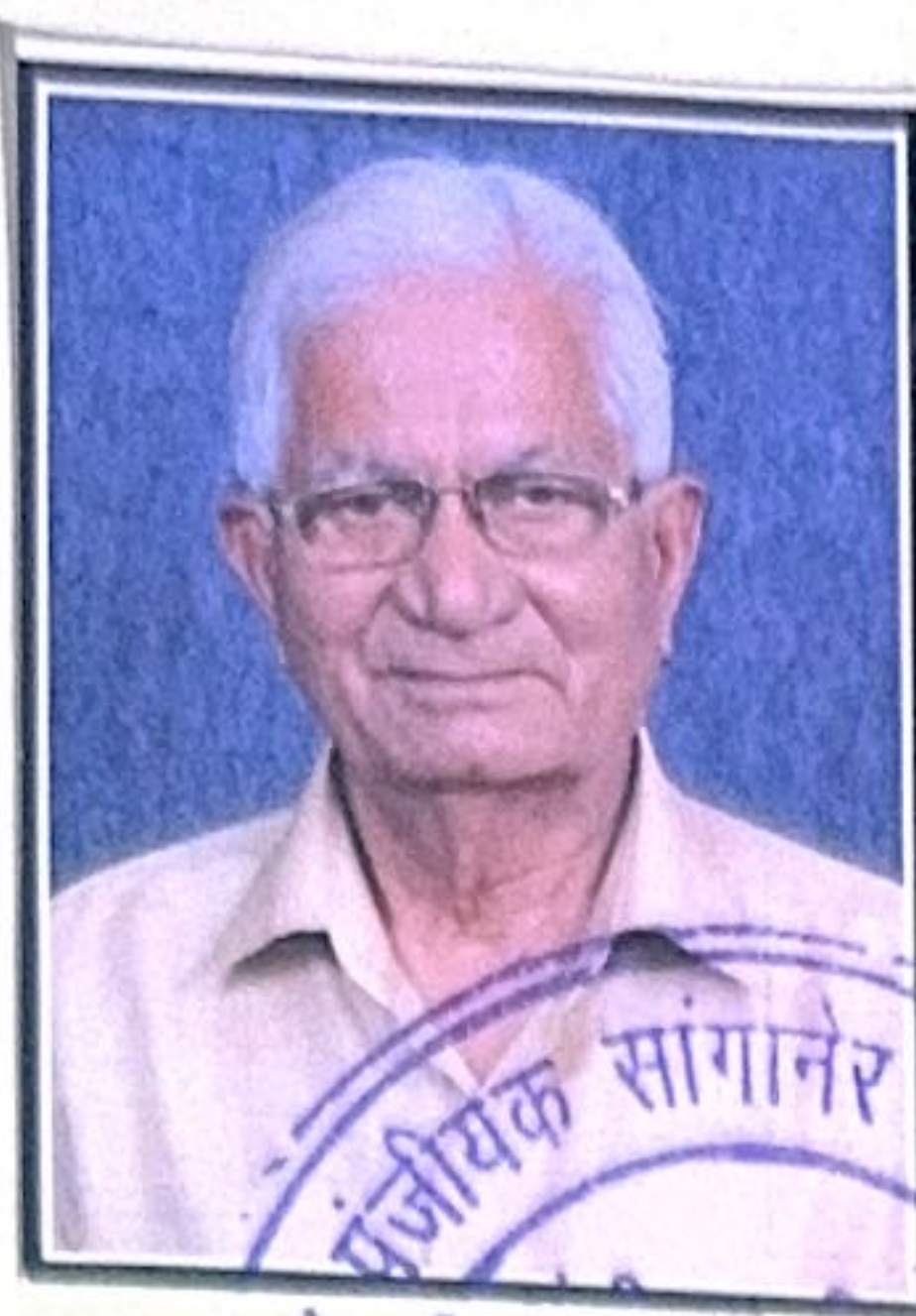
[Signature]



JD 0005380063

Statutory Alert:

The authenticity of this e-Stamp certificate can be verified at www.e-stamp.gov.in or by scanning the QR code. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App should be treated as invalid. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate. In case of any discrepancy please inform the Competent authority.



विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक अप्रैल सन् 2023 ईस्वी को: श्री मोहन उम्र 88 वर्ष पुत्र श्री छोटू जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 18, ऑफिसर्स एनक्लेव, कल्याणपुरा, मानसरोवर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान राज्य, जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर "प्रथमपक्ष विक्रेता" शब्द से सम्बोधित किया गया है। जिसमें प्रथमपक्ष विक्रेता के समस्त वारिसान्, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, दायभागी, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, विधिक अधिकारधारी, कायम मुकाम आदि सभी सम्मिलित होकर पालना करेंगे।

बहक

(1) श्री रामनिवास चौधरी उम्र 47 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री ज्ञानचन्द चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, (2) श्री अर्जुन सिंह चौधरी उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री श्योजीराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम जोतड़ावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर एवं (3) श्री महेन्द्र कुमावत उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री चुन्नीलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी ग्राम पहाड़िया, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान राज्य, जिन्हें इस विक्रय पत्र में आगे चलकर "द्वितीयपक्ष क्रेतागण" शब्द से सम्बोधित किया गया है। जिसमें द्वितीयपक्ष क्रेतागण के समस्त वारिसान्, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, दायभागी, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, विधिक अधिकारधारी, कायम मुकाम आदि सभी सम्मिलित होकर पालना करेंगे, के मध्य निम्न प्रकार से तहरीर किया गया है।

Handwritten signature and stamp of the Sub-Registrar, Sanganeer-II.

उप पंजीयक
सांगानेर द्वितीय

Handwritten signature.

Handwritten signature.



यह कि ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्र-में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2032 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2034/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से समस्त भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रथमपक्ष विक्रेता बिना किसी अन्य के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, काबिज स्वामी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अथवा इसके किसी अंश व भाग को प्रथमपक्ष विक्रेता ने आज से पूर्व अन्य किसी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी आदि के हक में रहन, विक्रय, दान, बन्धक, कर्जा-कुर्की, जमानत, अनुबंध, इकरार आदि कर हस्तान्तरित नहीं की है और ना ही किसी प्रकार का कोई लिखित अथवा मौखिक अनुबंध किया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक समस्त प्रकार के झगड़ो, टंटो, वाद-विवाद, कर्ज-भार आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है। जिसे हर प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश, दान आदि कर हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण मालिकाना व खातेदारी अधिकार प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं को प्राप्त है।

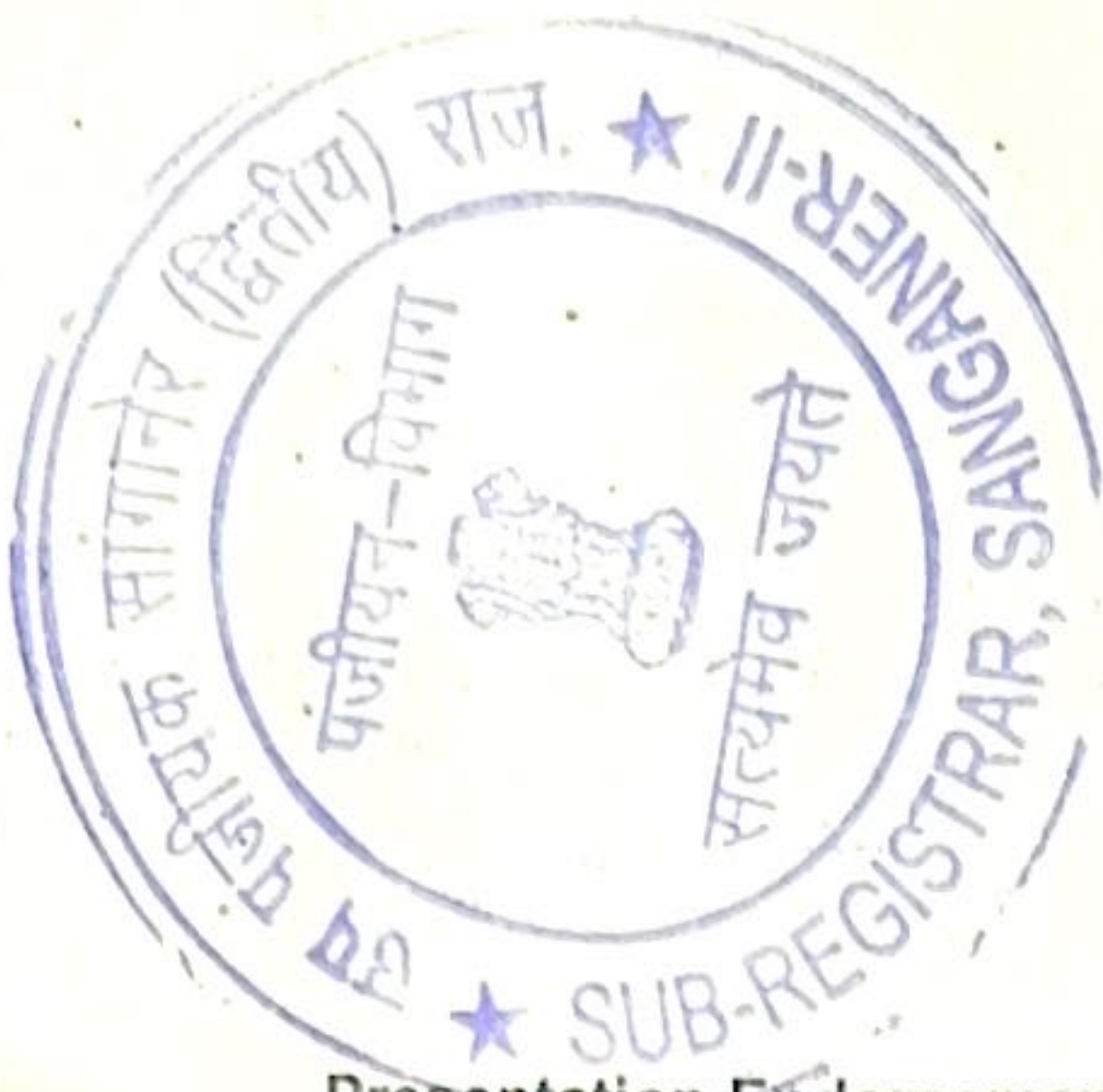
यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को वर्तमान समय में अपनी निजी, पारिवारिक व वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है। इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपने समस्त वारिसान् की सहमति व रजामंदी से अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2032 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2034/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर सम्पूर्ण स्थित ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को मय पानी, पूला, मेड़, डोल, बोल, सोल, रास्ता, पेड-पौधो, हक काशत, समस्त स्वामित्व, मालिकाना अधिकारों, हक-हकुको सहित कुल विक्रय राशि 2,00,00,000/- अक्षरे दो करोड़ रूपये मात्र की एवज में उक्त द्वितीयपक्ष क्रेतागण क्रमशः (1) श्री रामनिवास चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री ज्ञानचन्द चौधरी हिस्सा 25/71, (2) श्री अर्जुन

21 मिनिकाम चौधरी

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Presentation Endorsement

आज दिनांक 08 माह 05 सन् 2023 को 11:54 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री MOHAN पुत्र/पुत्री/पति श्री CHOTU
उम्र 79 वर्ष, जाति 559-KUMAWAT, व्यवसाय Retired Person
निवासी House No.:18, Colony: OFFICERS ENCLAVE KALYANPURA,
Area: MANSAROVAR, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District:
JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301025003804

Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
SANGANER-II

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302025005327
दिनांक	08-05-2023
पंजीयन शुल्क ₹	200000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1200000
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	360000
कुल योग	1760300

202301025003804

Sale Deed (Conveyance Deed)

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ91995015948017V ₹
1560000 # e-Registration Receipt
RJ1129821281759 ₹ 200300

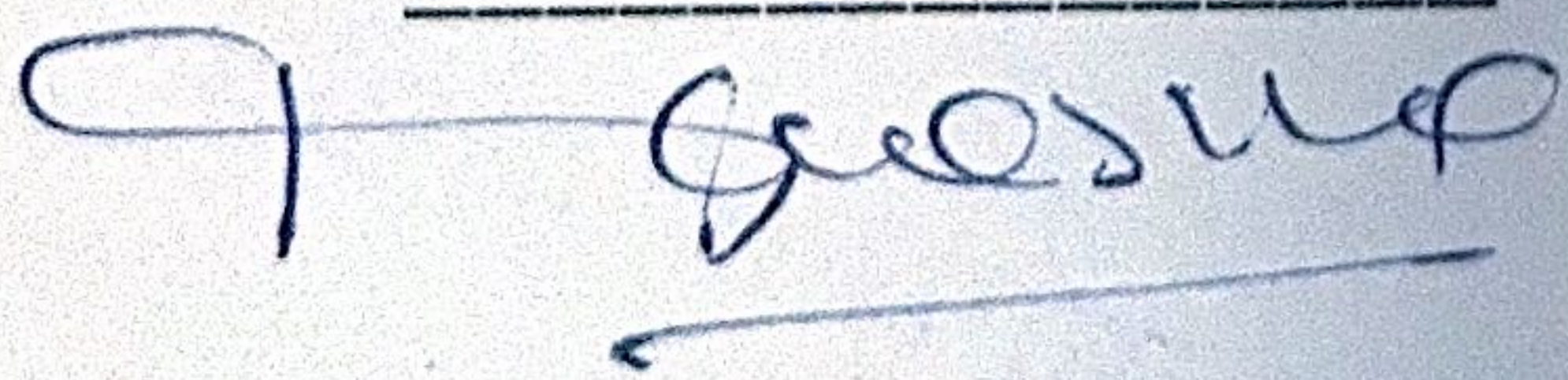
Endorsement of Execution



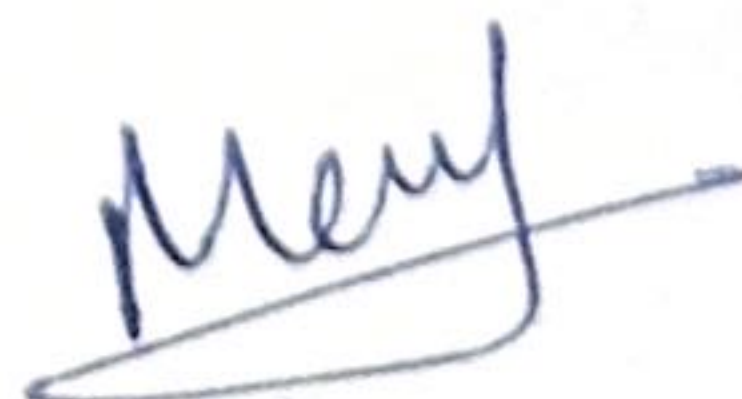
सिंह चौधरी पुत्र श्री श्योजीराम चौधरी हिस्सा 25/71 एवं (3) श्री महेन्द्र कुमावत पुत्र श्री चुन्नीलाल कुमावत हिस्सा 21/71 के हक में विक्रय कर दी है अर्थात् कतई बेच दी है। अब प्रथमपक्ष विक्रेता का उक्त बेची गयी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व, अधिकार व हक-हिस्सा नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा तथा द्वितीयपक्ष क्रेतागण ने विक्रय प्रतिफल की चुकती राशि प्रथमपक्ष विक्रेता को निम्न सूचीनुसार जरिये चैक्स अदा कर दी है :-

चैक सं.	तादादी	बैंक का नाम
000196	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांयपुरा
000197	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांयपुरा
000198	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांयपुरा
000199	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांयपुरा
000200	10,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांयपुरा
303120	9,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
303121	9,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
303122	9,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
303123	9,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
303124	9,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
303125	9,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
303126	8,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
303127	8,00,000 / -रु	बैंक ऑफ इण्डिया, सांगानेर
000423	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मानसरोवर
000424	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मानसरोवर
000425	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मानसरोवर
000426	15,00,000 / -रु	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मानसरोवर

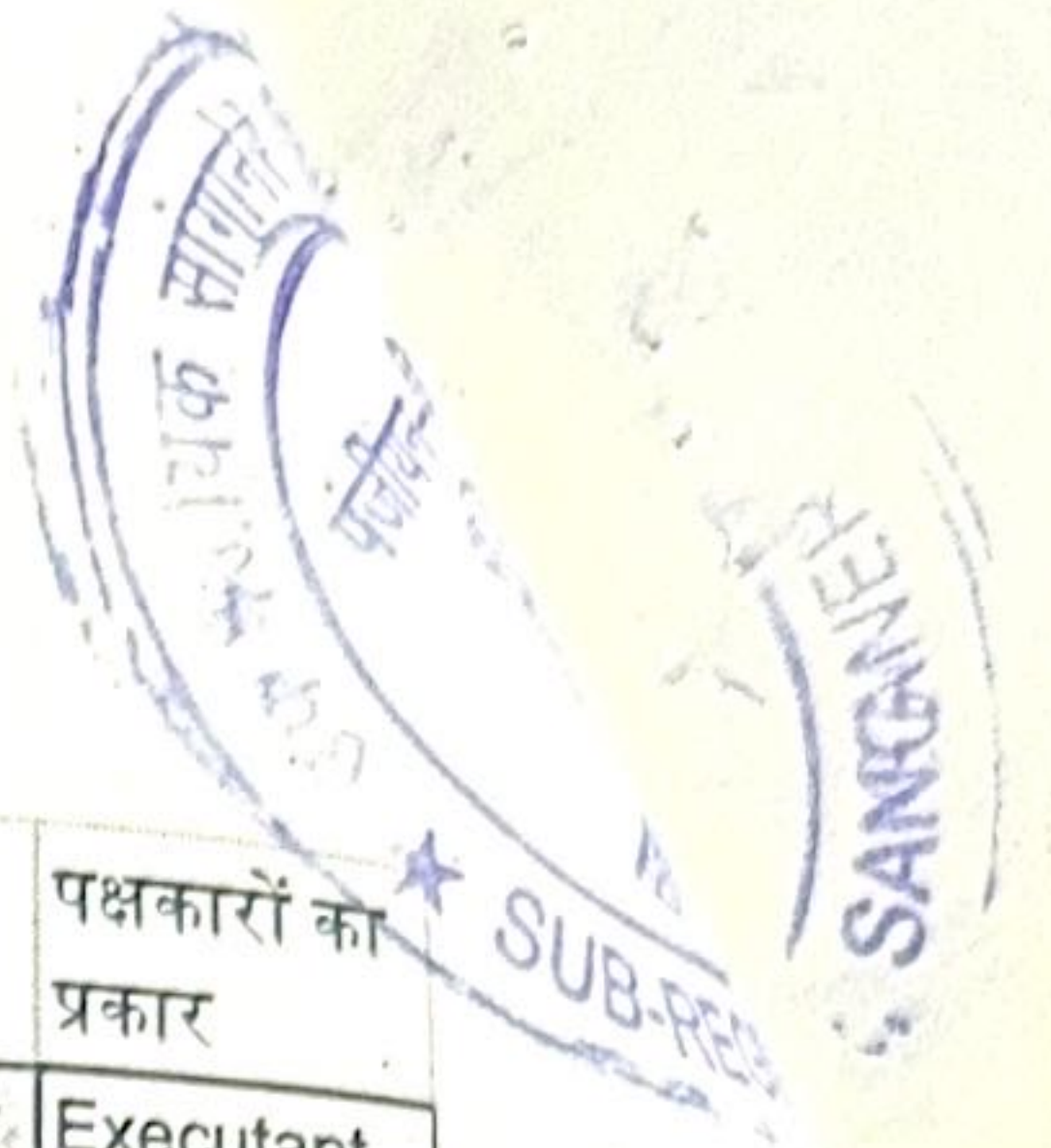
कुल 2,00,00,000 / -रु







21/11/2018 चौधरी



अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री MOHAN, पुत्र/पुत्री/पति श्री CHOTU, व्यवसाय Retired Person जाति 559-KUMAWAT House No.:18, Colony: OFFICERS ENCLAVE KALYANPURA, Area: MANSAROVAR, City: JAIPUR, Pin code: 302020, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 79 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री RAM NIWAS CHOUDHARY, पुत्र/पुत्री/पति श्री LATE GYANCHAND CHOUDHARY, व्यवसाय Business जाति 419-JAT House No.:00, Colony: VILLAGE SHIKARPURA, Area: TEHSIL SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302029, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 47 Signature :
3	श्री/श्रीमती/सुश्री ARJUN SINGH CHOUDHARY, पुत्र/पुत्री/पति श्री SHYOJI RAM CHOUDHARY, व्यवसाय Business जाति 419-JAT House No.:00, Colony: VILLAGE JOTADAWALA, Area: TEHSIL SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302029, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 47 Signature :
4	श्री/श्रीमती/सुश्री MAHENDRA KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पति श्री CHUNNI LAL KUMAWAT, व्यवसाय Business जाति 559-KUMAWAT House No.:00, Colony: VILLAGE PAHADIYA, Area: TEHSIL PHAGI, City: JAIPUR, Pin code: 303904, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 33 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 20000000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 20000000/- पूर्व में _____ ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AJAY KUMAR AJMERA, पुत्र/पुत्री/पति श्री SOHAN LAL AJMERA जाति MALI Age: 50 Add: House No.:00, Colony: VILLAGE SANGANER, Area: TEHSIL SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302029, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SHIV CHAND CHOUDHARY, पुत्र/पुत्री/पति श्री SHYOJI RAM CHOUDHARY जाति JAT Age: 43 Add: House No.:00, Colony: VILLAGE JATAWALA, Area: TEHSIL SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302029, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature



उप पंजीयक
सांगानेर द्वितीय



इस प्रकार विक्रय की चुकती राशि प्राप्त करने की दृष्टि से प्रथमपक्ष विक्रेता इस विक्रय पत्र में स्वीकार करता है। अब प्रथमपक्ष विक्रेता को द्वितीयपक्ष क्रेतागण से विक्रय की राशि पेटे कुछ भी लेना बकाया नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा तथा विक्रय की गई कृषि भूमि जो प्रथमपक्ष विक्रेता की खातेदारी, स्वामित्व एवं कब्जे काशत में थी, का मौके पर भौतिक एवं वास्तविक कब्जा द्वितीयपक्ष क्रेतागण को सम्भला दिया है।

यह कि अब आज से द्वितीयपक्ष क्रेतागण उक्त वर्णित कृषि भूमि के एकमात्र मालिक, काबिज व स्वामी हो गये है तथा द्वितीयपक्ष क्रेतागण उक्त वर्णित कृषि भूमि को इस विक्रय पत्र के आधार पर अपनी ईच्छानुसार जिस प्रकार से चाहे काम में लेवें, उपयोग व उपभोग में लेवे, भूमि पर स्वयं काशत करें, अन्य से काशत करावें, पानी-बिजली कनेक्शन स्वयं के नाम से प्राप्त करें, किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था, निकाय आदि से ऋण सुविधा प्राप्त करें, किसी भी संस्था, कम्पनी या अन्य दीगर व्यक्ति के हक में रहन, विक्रय, बख्शीश, दान, पुण्य आदि कर हस्तान्तरित करें, नियमन करवाकर पट्टा-विलेख प्राप्त करें। जिसमें प्रथमपक्ष विक्रेता एवं उसके विधिक वारिसान्, उत्तराधिकारीगण आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उज्र नहीं होगा।

यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक सभी प्रकार के भारों, बंधनो एवं प्रभारों से मुक्त व साफ है तथा भविष्य में उक्त वर्णित कृषि भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिये प्रथमपक्ष विक्रेता उत्तरदायी होगा। यदि प्रथमपक्ष विक्रेता अथवा उसके पूर्ववर्ती व सहदायिकी स्वामी की ओर से स्वामित्व सम्बन्धित अधिकारों में किसी त्रुटि के कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा उसका कोई अंश व भाग द्वितीयपक्ष क्रेतागण के कब्जे व अधिकार से निकल जावे अथवा द्वितीयपक्ष क्रेतागण को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति उठानी पड़े तो द्वितीयपक्ष क्रेतागण को इस प्रकार की वहन की गई क्षतिपूर्ति राशि, नुकसान, हर्जा-खर्चा सहित प्रथमपक्ष विक्रेता से वसूल करने का अधिकार होगा।

यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के पूर्ववर्ती, सहदायिकी अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी/अन्य व्यक्ति द्वारा इस विक्रय पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति, आक्षेप अथवा

सहिवाम-चक्र

[Signature]

[Signature]

[Signature]



विवाद किया जाता है तो उसको हर प्रकार से निपटाने व सुलटाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं की होगी।

यह कि द्वितीयपक्ष क्रेतागण इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण समस्त भू राजस्व अभिलेखों में अपने नाम में दर्ज करवा लेवें। फिर भी यदि उक्त वर्णित कृषि भूमि के बाबत नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तकरण करवाने हेतु जब कभी-भी द्वितीयपक्ष क्रेतागण को प्रथमपक्ष विक्रेता के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही आदि की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता ऐसी समस्त कार्यवाहियों को द्वितीयपक्ष क्रेतागण के हक में निष्पादित कर देगा।

यह कि उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि के विषय में इस विक्रय पत्र की तस्दीक दिनांक से पूर्व की कोई बकाया राशि अथवा वाद-विवाद किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति जनसाधारण, सरकारी अथवा बैंक आदि का निकलेगा तो उन सबको हर प्रकार से निपटाने व सुलटाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं की होगी।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता के समस्त विधिक वारिसान् ने भी इस विक्रय में अपनी सहमति प्रदान करते हुये बतौर सहमतिकर्तागण इस विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता व द्वितीयपक्ष क्रेतागण के समस्त अधिकार व उत्तरदायित्व सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार लागू होंगे।

यह कि उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि मुख्य डिग्गी रोड़ से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है तथा सम्पर्क सड़क से लगती हुयी है। जिसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।

यह कि विक्रय पत्र के पंजीयन सम्बन्धी देय समस्त खर्चा द्वितीयपक्ष क्रेतागण द्वारा वहन किया गया है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी निजी ईच्छा एवं प्रसन्नता से, पूर्ण होशो-हवास की अवस्था में, बिना किसी नशे-पते का सेवन किये, बिना किसी व्यक्ति के दबाव या आग्रह के एक ई-स्टाम्प व पांच ग्रीन पेपरो पर बहक द्वितीयपक्ष क्रेतागण लेख्य करवा दिया है और विक्रय पत्र में वर्णित ईबारत को भली प्रकार से पढ़कर, पढ़वाकर, सुनकर, समझकर व सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् की

2. नज्जाम चौधरी

Am

Mam



Registration Endorsement

आज दिनांक 11/05/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 526 में
पृष्ठ संख्या 80 क्रम संख्या 202303025103318 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2101 के
पृष्ठ संख्या 549 से 559 पर चस्पा किया गया।

202301025003804

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-II

उप पंजीयक
सांगानेर द्वितीय



AR, SANGANER-II

उपस्थिति में कर दिये हैं कि प्रमाण रहे, समय पर काम आवे। इति।
दिनांक अप्रैल सन् 2023 ईस्वी।



संगानेर-२

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेतागण

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

गवाहान्:-

1. हस्ताक्षर

नाम: अजय कुमार अजमेरा

पिता का नाम: श्री सोहनलाल अजमेरा

उम्र 50 वर्ष जाति : कुमावत

व्यवसाय: व्यापार

पता: ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर

जिला जयपुर

2. हस्ताक्षर शिव चन्द चौधरी

नाम: शिव चन्द चौधरी

पिता का नाम: श्री श्योजीराम चौधरी

उम्र 43 वर्ष जाति : जाट

व्यवसाय: व्यापार

पता: ग्राम जाटावाला, तहसील सांगानेर,

जयपुर

हस्ताक्षर सहमतिकर्तागण

1. रेखा पुत्री मोहन लाल

2. रजनी अजमेरा

पुत्री मोहन लाल

3. अनूप वर्मा

पुत्र मोहन लाल



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this 09th Day of February, 2024 at Jaipur.

BETWEEN

1. **RAMNIWAS CHOUDHARY** Son of Mr. Gyan Chand Choudhary R/o Tiba ki dhani, shikarpura Jaipur, Rajasthan-302029 (hereinafter referred to as the "Owner"), which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part;**

And

2. **MAHENDRA KUMAWAT** Son of Mr. Chunni Lal Kumawat R/o 129, dhani bhopa ki pahadiya, pahariya, Rajasthan-303904 (hereinafter referred to as the "Owner") which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part;**

And

3. **ARJUN SINGH CHOUDHARY** Son of Mr. Shyojiram Jat R/o Ward no.-31, gate ki dhani, jotadawala Sanganer, Jaipur, Rajasthan-302029 (hereinafter referred to as the "Owner") which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Third Part**

ATTESTED
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

21/02/2024
14 FEB 2024

Arjun Singh Choudhary
Mahendra Kumawat

An

9 FEB 2024

क्रमांक 14511 दिनांक

क्रेता का नाम शक्तिशाली धारणी, अरुण कुमार, व अर्जुन
भिता का नाम
मिवाती

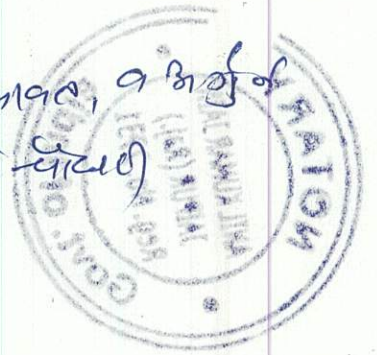
कुमांक 145 वस्तु शीतलपत्र

प्रमाणित जैन

स्थान विक्रेता कार्यालय नं. 85/15

मौज नं. 2, मन्सुरी मर्कट, मन्सुरी, जयपुर

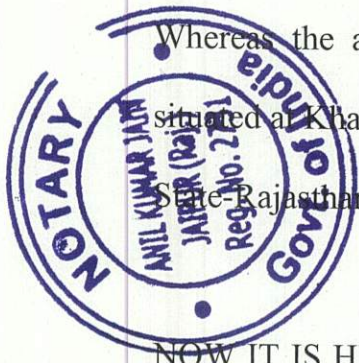
राजस्थान स्टांप अधिनियम 1998 के अन्तर्गत	
स्टांप राशि पर प्रभाविता अधिकार	
1- आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) - 10 प्रतिशत	= 10
2- गाय और उसकी बटल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख)/प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु - 20 प्रतिशत	= 20
कुल योग	
हस्ताक्षर प्रमाणित	



ATTESTED

Attestation (Govt. of India)
Jaipur (Raj.)

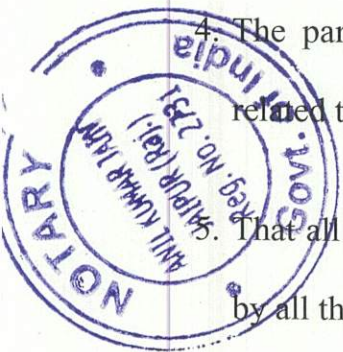
14 FEB 2024



Whereas the above referred parties jointly owned a piece of Land “GYAN VIHAR” situated at Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1 Village & Tehsil-Sanganer, District-Jaipur State-Rajasthan.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. The project “GYAN VIHAR” situated at Khasra No. 2031, 2032, 2033, 2034/1 Village & Tehsil-Sanganer, District-Jaipur State-Rajasthan, shall be jointly developed by all the parties.
2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the parties.
3. That party to the First Part (Mr. Ramniwas Choudhary) shall act as a Promoter and the party to the Second Part (Mr. Mahendra Kumawat) and Third Part (Arjun Singh Choudhary) shall act as the other promoters in the above referred project land “GYAN VIHAR”.
4. The party to the first Part (Mr. Ramniwas Choudhary) shall sign all the documents related to RERA.
5. That all the Rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed jointly by all the parties.
6. The designated separate bank account shall be opened in the name of the Mahendra Kumawat Arjun Singh Choudhary Ramniwas Choudhary as provided in sub-clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section 4 of the RERA Act, 2016.
7. All the receipts/losses from the booking and sale of units in the project “GYAN VIHAR” shall be shared between the parties in ratio of their ownership.



ATTESTED
Anil Kumar Jain,
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

14 FEB 2024

Handwritten signatures of the parties.

S. No.	Name of Landowner	% of Ownership
1.	Ramniwas Choudhary	35.21
2.	Mahendra Kumawat	29.58
3.	Arjun Singh Choudhary	35.21
TOTAL		100%

8. That, if any contradiction arises or any loss or damage to any allottee arises in any manner in the future all the parties jointly takes responsibility to compensate for the same.

21/09/24

(Mr. Ramniwas Choudhary)

Mahendra

(Mrs. Mahendra Kumawat)

Arjun

(Mr. Arjun Singh Choudhary)



ATTESTED
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

14 FEB 2024